जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 25.11.2024**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मवी में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 24.11.2024 को वादी श्री सालिम पुत्र कासिम निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली के भतीजे साहिल से पबजी गेम खेलने के विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर मारपीट व फायरिंग करना जिससे श्रीमती कुसुम, श्रीमती बगुली व जफर गम्भीर रुप से घायल हो जाने तथा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मवी में फायरिंग व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आरिफ पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 675/2024 धारा 190/191(2)/191(3)/333/109(1)/352/351(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामड़ा में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 26.09.2024 को वादी श्री फारुक पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली के घर में घुसकर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मारपीट व धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने तथा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामड़ा में धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मुरसलीन पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 585/2024 धारा 191(2)/115(2)/333/109(1)/352/351(2)/118(1)/118(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरा बरामदः-</u>

आज दिनांक 25.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमण्डी पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.रोहित कुमार पुत्र सुरेश कश्यप निवासी ग्राम कुड़ाना थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 01 छुरा।

<u>थाना थानाभवन/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 25.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन/ कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.महबूब उर्फ बूबा पुत्र महमूद कुरैशी निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.सन्नी पुत्र सलेकचन्द निवासी ग्राम किशोरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.रोशन पुत्र अतरा निवासी ग्राम यारपुर थाना थानभवन जनपद शामली।

4.अनिल पुत्र प्रताप निवासी ग्राम यारपुर थाना थानभवन जनपद शामली।

5.राजु पुत्र रघुवंश लाल निवासी मौहल्ला घासमंडी थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गैंगस्टर के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 06 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2018 में अभियुक्त महताब पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला रेती थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के मामले में थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 412/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में आज दिनांक 25.11.2024 को माननीय न्यायालय एड़ीजे/एफटीसी कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त महताब उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 06 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.महताब पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला रेती थाना थानाभवन जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2003 में अभियुक्त मुस्तफा पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला छड़ियान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 358/2003 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2023 में अभियुक्त गुड्डू उर्फ मांगा पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम कसरेवा कलां थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 39/2023 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.मुस्तफा पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला छड़ियान थाना कैराना जनपद शामली।

2.गुड्डू उर्फ मांगा पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम कसरेवा कलां थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI